अध्याय 2 भारतीय रेल में यात्रियों के लिए रियायतें

2.1 प्रस्तावना

रेल मंत्रालय भारतीय रेल से यात्रा करने वाले विभिन्न श्रेणीयों के यात्रियों हेतु रियायतों को प्रदान करता है। भारतीय रेल द्वारा सामान्य जनता के लिए मुख्यत: 53 प्रकार की रियायतें प्रदान की जाती है (परिशिष्ट-ए)। ये रियायतें विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों हेतु पृथक पृथक होती है जैसे (i) वरिष्ठ नागरिक (ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (iii) कैंसर, थैलीसीमिया, हृदय, गुर्दा, क्षयरोग और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज (iv) वीरता पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता (v) श्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ता (vi) राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अध्यापकों (vii) युद्ध में मृत सैनिक की विधवा (viii) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता (ix) राष्ट्रीय और राज्य खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी करने वाले (x) छात्रों (xi) युवकों (xii) किसानो (xiii) प्रेस संवाददाताओं (xiv) फिल्म टेकनीशियनों इत्यादि। भारतीय रेल, रेल कर्मचारियों को सुविधा पास, मानार्थ पास, और सुविधा टिकट आदेशों के संबंध में रियायतें प्रदान करती है। रियायत के अनुदान हेतु नियमों, प्रक्रियाओं, रियायतों की सीमा, पात्रता, उद्देशयों आदि के ब्यौरे आईआरसीए कोचिंग टैरिफ सं. 26, भाग I (खण्ड II) में निहित हैं। भारतीय रेल को 2015-16 से 2017-18 के दौरान 189.99 करोड़ आरक्षित यात्रियों से ₹ 88063.93 करोड़[27] राजस्व का अर्जन हुआ और इसी अवधि के दौरान आरक्षित यात्रियों को ₹ 7418.44 करोड़ (8.42 *प्रतिशत*) से 21.75 करोड़ (11.45 *प्रतिशत*) की रियायत को प्रदान किया गया ।

2.2 पृष्ठभूमि

'भारतीय रेल में यात्री राजस्व प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2005 की प्रतिवेदन सं. 9 (रेलवे) के अध्याय 1 मे यह स्पष्ट किया गया कि रेल किराया और माल ढुलाई समिति (आरएफएफसी) की सिफारिशों को जल्दी लागू करने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों में रियायत की राशि को 50 प्रतिशत तक सीमित करना, विभिन्न लाभ अर्जन करने वाले संगठनों की प्रतिनिधियों को दी जाने वाली रियायतों को वापस लेना, तीन वर्ष से ऊपर की आयु वाले बच्चों के लिए राशि चार्ज करना, बच्चों को दी गई गए सीट के संबंध में 75 प्रतिशत की राशि चार्ज करना और भूतपूर्व सांसदो को दी गई रियायत के संबंध में वहन किए गए व्यय संसदीय कार्य विभाग से उर्पाजित करना शामिल है। रेलवे बोर्ड ने एटीएन (जून 2015) में बताया कि रेलवे बहुत ही सीमित संख्या के मामलों में यात्रियों को आवश्यकता और योग्यता के आधार पर रियायत प्रदान करता है ।

नीति आयोग की बिबेक देबरॉय समिति और किशोर देसाई समिति के द्वारा भारतीय रेल द्वारा सामाजिक सेवा दायित्व के प्रभाव की समीक्षा की गई, तथापि, निष्कर्ष निकाला गया (सितंबर 2016) कि भारतीय रेलवे समग्र वित्तीय स्थिति का प्रबंधन करने के लिए अपने यात्री व्यवसाय के नुकसान के लिए अपने माल के व्यवसाय को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है । इस

[27] ***रेल मंत्रालय के वार्षिक सांख्यिकीय विवरण के अनुसार***

पृष्भूमि में, वर्तमान लेखापरीक्षा मे भारतीय रेल द्वारा वहन की गई रियायत की मात्रा और रियायतों के दुरूपयोग की जांच करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तन्त्र की प्रभाविकता निर्धारण पर ध्यान केन्द्रित किया।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वर्तमान लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न का निर्धारण करना है:

1. रेलवे के उपार्जन पर यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों के प्रभाव;
2. क्या रेलवे ने पिछले वर्षों में रियायतों की राशि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए है और रियायतों के दुरूपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त आतंरिक नियंत्रण किये हैं?

2.4 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 2015-16 से 2017-18 के दौरान आरक्षित यात्रियों को दी जाने वाली रियायतो की समीक्षा सम्मिलित है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों, निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित रोगियों, विकलांग व्यक्तियों, छात्रों, खेल से जुड़े व्यक्तियों, प्रेस संवदाताओं, विशेषाधिकार पास / पीटीओ धारकों आदि को दी गई रियायतों की समीक्षा शामिल है। रेल मंत्रालय ने कहा कि विशेषाधिकार पास / पीटीओ रियायतें नहीं बल्कि सेवा की वैधानिक शर्तें हैं। यह एक तथ्य हो सकता है लेकिन उनके वित्तीय निहितार्थ और लागत में शामिल होने के मद्देनजर, इसे इस समीक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। चिकित्सीय आधारों पर दी जाने वाली रियायतो की समीक्षा हेतु सभी क्षेत्रीय रेलवे में चयनित यात्री आरक्षित प्रणाली (पीआरएस) काउंटरो पर जुलाई 2018 के माह की रसीदों की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए 30 अप्रैल 2019 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और रेल मंत्रालय के जवाब को शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा ने भारतीय रेल के आरक्षित यात्री डेटा वेयरहाऊस[28] की रियायत संबंधी रिपोर्ट और इस संबंध में रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (CRIS) के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो का विश्लेषण किया। विश्लेषण पर, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र और लेखा निदेशालय, रेल मंत्रालय के द्वारा अनुरक्षित डेटा वेयरहाऊस से 2015-16 से 2017-18 के दौरान डाउनलोड किए गए डेटा के बीच आरक्षित यात्रियों की संख्या और अर्जित राजस्व में लेखापरीक्षा द्वारा अंतर देखा गया। रेल मंत्रालय के 2015-16 से 2017-18 के दौरान आरक्षित यात्रियों की कुल संख्या और इससे संबंधित आय के आंकड़े, डेटा वेयरहाऊस से डाऊनलोड किए गए के आंकड़ो से क्रमश:

[28] ***डेटा वेयरहाऊस सेन्टर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस) द्वारा अनुरक्षित किया जाता है जो भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के सभी डेटा को संरक्षित करना, निर्णय लेने में भारतीय रेल के द्वारा उपयोग हेतु डेटा का विश्लेषण और रिर्पोट तैयार करता है।***

16.68 करोड़ (9.62 *प्रतिशत*) और ₹ 12903.14 करोड़ (17.17 *प्रतिशत*) अधिक थे जैसा कि ***परिशिष्ट-ख*** में दर्शाया गया है।

2015-18 के दौरान आरक्षित यात्रियों की कुल संख्या और राजस्व अर्जन में अंतर को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों से मिलाया नहीं जा सका, तद्नुसार निष्कर्ष निकालने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा डेटा वेयरहाऊस से डाऊनलोड किए गए सिस्टम जनरेट डेटा का विश्लेषण और समीक्षा की गई। एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2019) के दौरान, रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (CRIS) के डेटा वेयरहाउस से डाउनलोड किए गए डेटा और लेखा निदेशालय , रेल मंत्रालय के द्वारा बनाए गए डेटा के बीच मिलान न होने का कारण स्टेशनों पर स्टेशन स्टाफ और ट्रेनों में टीटीई द्वारा की गयी बुकिंग है, जो अनारक्षित ट्रेन प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से नहीं होती है इसलिए, CRIS द्वारा बनाए गए डेटा वेयरहाउस में शामिल नहीं हो पाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा समय समय पर जारी किए गए रेलवे बोर्ड के निर्देशों/परिपत्रों के अनुपालन की समीक्षा और क्षेत्रीय रेलवे /मंडलों /चयनित पीआरएस काउंटरो पर विभिन्न रियायतों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई।

2.5 नमुना आकार

निम्नलिखित नमूनो का चयन किया गया

तालिका 2.1- नमुना आकार के लिए मानदंड

क्रम सं.	विषय	मानदंड	नमुना ब्यौरे
1.	समीक्षा अवधि के दौरान क्षेत्रीय रेलवे में आरंभ की गई नई प्रकार की ट्रैन जैसे हमसफर, सुविधा, महामना आदि में रियायतो के अध्ययन हेतु	2015-18 के दौरान क्षेत्रीय रेलवे में आरंभ की गई नई प्रकार की ट्रैन जैसे-हमसफर, सुविधा आदि का 100 *प्रतिशत*	नमूना जांच के लिए 86 ट्रैन चयनित की गई थी • 48 सुविधा विशेष ट्रैनें • चार महामना एक्प्रेस ट्रैनें • दो तेजस एक्प्रेस ट्रैनें • 32 हमसफर ट्रैनें
2.	वरिष्ठ-नागरिक को दी जाने वाली योजना के कार्यान्वयन और चिकित्सीय प्रमाणपत्र के संबंध में जारी किए गए रियायती टिकटों में अनियमितताओं के अध्ययन हेतु	प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में पांच पीआरएस काउंटर एक यात्री सेवा टिकट केन्द्र (वाईटीएसके)/बाह्य अभिकरण सहित	कुल 69 पीआरएस स्थानों और 11 वाईटीएसके नमुना जांच के लिए चयनित किए गए थे।

चयनित किए गए नमुनो के ब्यौरे ***परिशिष्ट-ग*** में दिये गए हैं।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: **रेलवे के उपार्जन पर यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों के प्रभाव**

2.6.1 आरक्षित यात्रियों से होने वाली आय को रियायत के रूप में दिए गए राजस्व की हिस्सेदारी

चित्र 2.1 आरक्षित यात्रियों से प्राप्त आय के साथ-साथ रियायत के रूप में दिया गया राजस्व

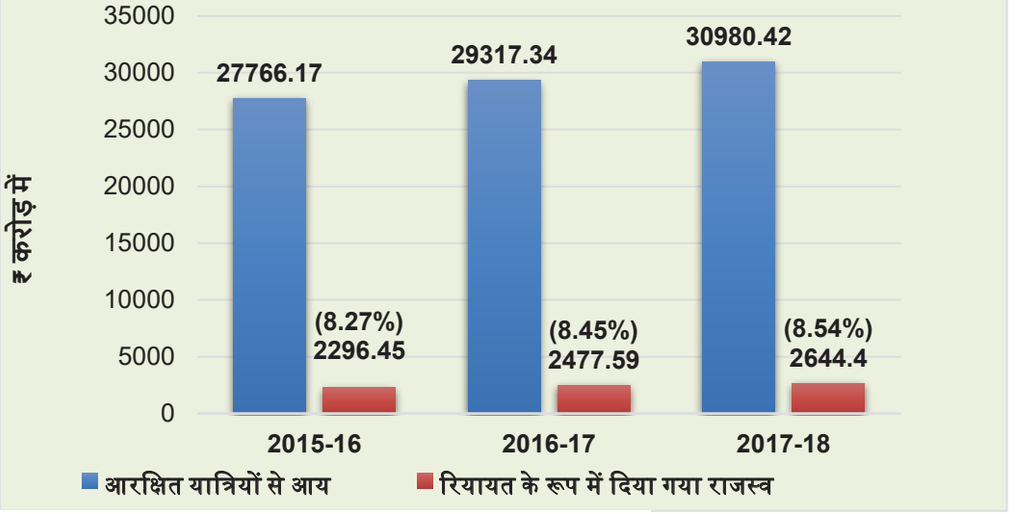

स्त्रोत: भारतीय रेल के डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट सं. 98

यात्रियों को दिए जाने वाली रियायत की राशि का विश्लेषण भारतीय रेल की यात्रियों से आय पर इसके भार का निर्धारण करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षित यात्री आय पर औसतन 8.42 *प्रतिशत* रियायतों के रूप मे दी गयी जैसा ***चित्र 2.1*** से देखा जा सकता है। यात्रियों की संख्या के सन्दर्भ में, किसी भी प्रकार की रियायत का लाभ उठाने वाले यात्रियों की कुल संख्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रा करने वाले कुल आरक्षित यात्रियों का लगभग 11.45 *प्रतिशत* (21.75 करोड़) था। **अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 1.1**

इस प्रकार, कुल आरक्षित यात्रियों मे से 11.45 प्रतिशत को किसी भी प्रकार रियायत का प्रदान करने के लिए भारतीय रेल ने पिछले तीन वर्षों में आरक्षित यात्रियों की आय का महत्वपूर्ण हिस्से का (8.42 प्रतिशत) परित्याग किया।

2.6.2 रियायत का श्रेणी-वार विश्लेषण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के तहत दी गई रियायत की कुल राशि ₹ 7418.44 करोड़ थी। 2015-16 से 2017-18 के दौरान दी गई रियायत की राशि की श्रेणी-वार समीक्षा यह दर्शाती है कि रियायतों का प्रमुख हिस्सा (52.5 *प्रतिशत*) वरिष्ठ नागरिक रियायतों और कर्मचारियों पास धारको रियायतों (37.2 *प्रतिशत*) के लिए उपयोग हुआ है जबकि दिव्यांग, रोगियों, प्रेस संवादाताओं आदि के लिए दी गयी अन्य रियायतें कुल रियायत का 10.3 *प्रतिशत* बनती है जैसा **चित्र 2.2** में देखा जा सकता है। रियायत की सम्पूर्ण राशि के सन्दर्भ में, पिछले तीन वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत की राशि ₹ 3894.32 करोड़ थी और कर्मचारियों के सुविधा पास और पीटीओ के संबंध में यह ₹ 2759.25 करोड़ थी।

चित्र 2.2- विभिन्न प्रकार की रियायत की हिस्सेदारी

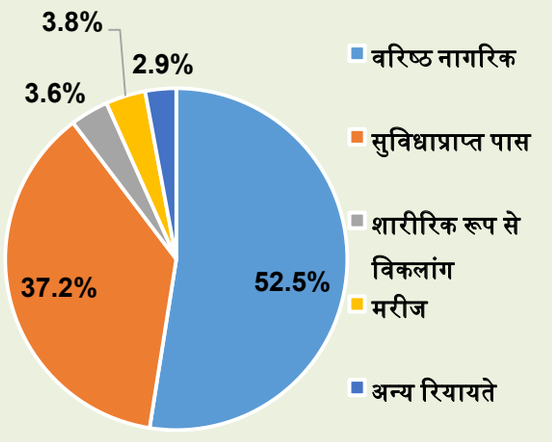

अनुलग्नक 1.1

इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिक रियायत और सुविधा पास/पीटीओ धारको के लिए रियायत के संबंध में 89.7 प्रतिशत आय का परित्याग किया।

2.6.3 पिछले वर्षों में रियायतो की वृद्धि दर

2015-16 से 2017-18 के दौरान रियायत प्राप्त यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि की दर के विश्लेषण से पता चलता है कि रियायत का लाभ उठाने वाले आरक्षित यात्रियों की संख्या में प्रति वर्ष 6.3 *प्रतिशत* की दर से वृद्धि हुई। 2017-18 में, दिव्यांग यात्रियों की श्रेणी में 10.6 *प्रतिशत* और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों के लिए 8.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। 'अन्य रियायती श्रेणी' के अलावा रियायतों की सभी प्रमुख श्रेणियों में स्थिर वृद्धि पंजीकृत की गई थी, जबकि यात्रियों की संख्या में तेजी से कमी देखी गई जैसा नीचे चित्र 2.3(क) और 2.3(ख) में देखा जा सकता है।

चित्र 2.3(क) रियायत का लाभ उठाने वाले यात्रियो की संख्या में वृद्धि/कमी की दर

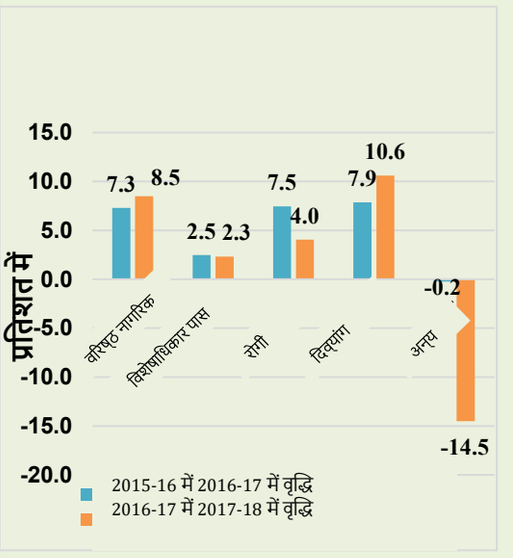

चित्र 2.3 (ख) एसी और गैर-एसी श्रेणियों में रियायत प्राप्त यात्रियों की संख्या में वृद्धि/कमी की औसत वार्षिक दर

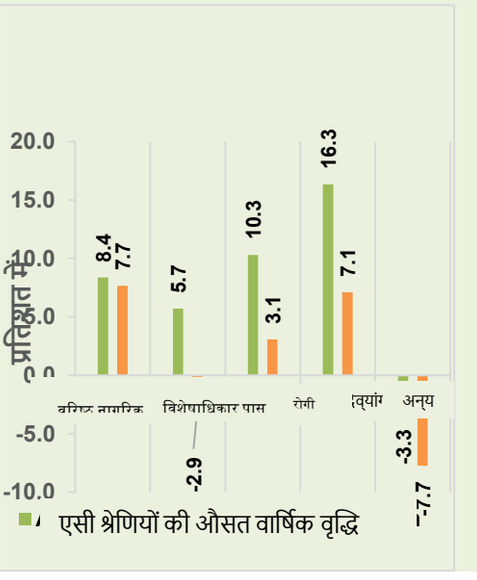

स्त्रोत: सीआरआईएस डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट 71 (बी)

रियायतों की सभी श्रेणियों में गैर-एसी श्रेणियों की तुलना में एसी श्रेणियों में रियायत की वृद्धि दर भी अधिक थी। **अनुलग्नक 2**

इस प्रकार, केवल कुछ को छोड़कर सभी श्रेणियों में रियायतों का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या में नियमित वृद्धि हुई है। रियायत के सभी श्रेणियों में, एसी श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के सन्दर्भ में वार्षिक वृद्धि दर गैर-एसी श्रेणियों की तुलना में उच्चतर हैं अगर वृद्धि दर अनिवार्य रूप से वर्तमान प्रवृत्ति की होगी तो परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में भारतीय रेल की यात्री आय पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2019) के दौरान, रेल मंत्रालय ने कहा कि विशेषाधिकार पास / पीटीओ रियायतें नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा रेलवे सेवा (पास) नियमों को बनाते हुए वैधानिक शर्तें हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि भारतीय रेल ने 2015-18 के दौरान ₹ 919.75 करोड़ का औसत वार्षिक राजस्व का परित्याग किया।

2.6.4 यात्रियों को दी जाने वाली रियायतों का श्रेणी-वार विश्लेषण

2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान रियायतों का लाभ उठाने वाले यात्रियों की कुल संख्या और दिए गए राजस्व की कुल राशि का श्रेणी वार विश्लेषण से पता चलता है कि एसी 2 टीयर में यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिकतम राशि की रियायत का लाभ दिया गया जबकि स्लीपर श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने अधिक संख्या में रियायत का लाभ लिया जैसा नीचे ***चित्र 2.4*** में दर्शाया गया है।

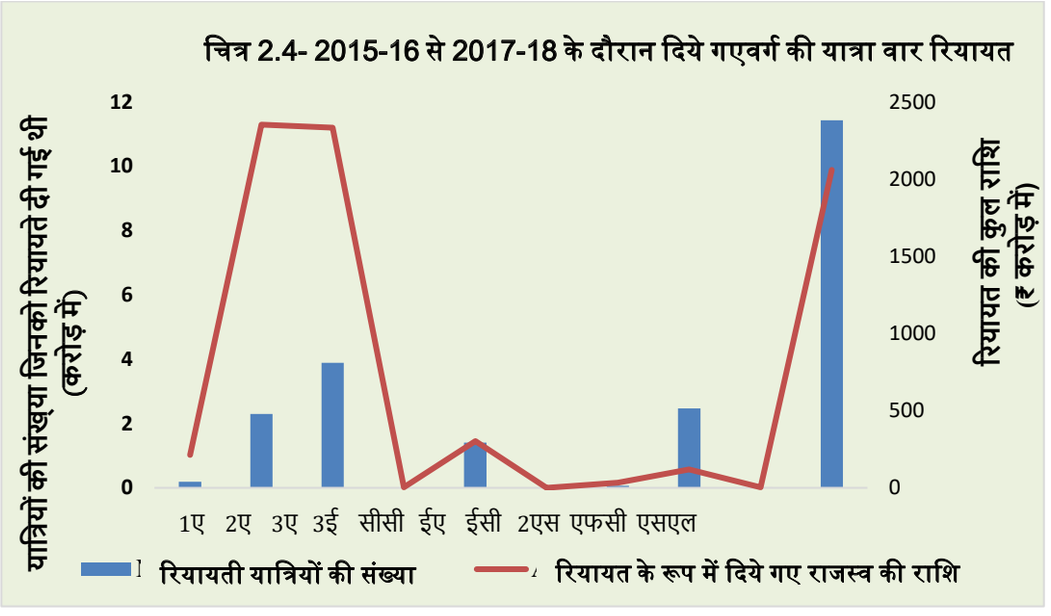

स्त्रोत: सीआरआईएस डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट 71 (बी)

उपरोक्त चित्र से, समीक्षा अवधि के दौरान यह देखा गया है कि

- सभी एसी वर्गों में विभिन्न रियायतों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 7.85 करोड़ (36.08 *प्रतिशत*) थी। इन 36.08 *प्रतिशत* यात्रियों ने ₹ 5235.44 करोड़ (70.57 *प्रतिशत*) की रियायत का लाभ लिया और दूसरी ओर, सभी गैर एसी श्रेणियों में 13.91 करोड़ यात्रियों (63.92 *प्रतिशत*) ने ₹ 2183 करोड़ (29.43 *प्रतिशत*) की रियायत का लाभ लिया।
- गैर-एसी श्रेणियों में से, स्लीपर श्रेणी में, 11.42 करोड़ यात्रियों ने ₹ 2059.89 करोड़ की राशि की रियायत का लाभ उठाया जबकि एसी2 टीयर और एसी3 टीयर श्रेणियों में कुल 6.18 करोड़ यात्रियों ने ₹ 4685.06 करोड़ की रियायत का लाभ उठाया।
- एसी श्रेणियों के रियायती यात्रियों द्वारा प्रति व्यक्ति रियायत ₹ 667 का लाभ उठाया गया जबकि गैर-एसी श्रेणियों मे यह ₹ 157 था **अनुलग्नक 3**

इस प्रकार, गैर-एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले रियायत प्राप्त यात्रियों की संख्या अधिक है, फिर भी एसी श्रेणी मे रियायत यात्रा करने वाले भारतीय रेल की आरक्षित यात्री आय पर अधिकतम प्रभाव डालते है। गैर-एसी श्रेणी में रियायत की राशि की हिस्सेदारी एसी यात्रियों द्वारा लाभ उठाई गई रियायत की तुलना में बहुत कम है जो रियायत के अंश के समान वितरण की कमी का संकेत है।

2.6.5 विभिन्न श्रेणियों के तहत भारतीय रेल के द्वारा अनुमत रियायतों का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने भारतीय रेल के डाटा वेयरहाऊस की प्रतिवेदन सं. 71 (ब) के डेटा का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में विनिर्दिष्ट रियायत श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

2.6.5.1 वरिष्ठ नागरिको के लिए रियायतें

गरीब रथ और कुछ अन्य ट्रैनों जैसे- गतिमान एक्प्रेस, सुविधा और हमसफर ट्रैनों के अलावा सभी वर्गों की ट्रैनों में महिला यात्री जो 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है को किराए में 50 *प्रतिशत* की रियायत और 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पुरूषों को 40 *प्रतिशत* की रियायत दी जाती हैं। जुलाई 2017 में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 *प्रतिशत* एवं 100 *प्रतिशत* रियायत को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने की योजना शुरू की गई थी।

चित्र 2.5(क)- वरिष्ठ नागरिक रियायत का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या

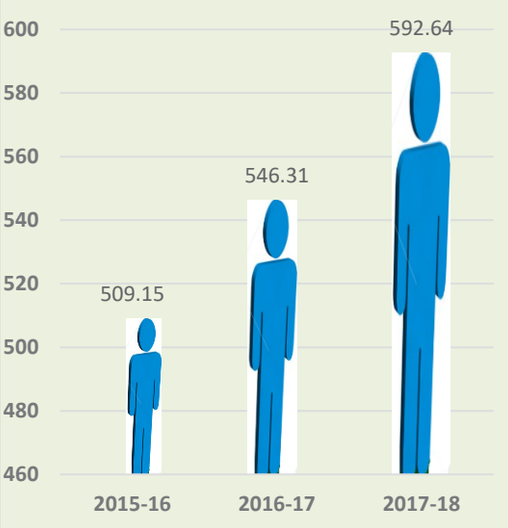

चित्र 2.5(ख)- में वरिष्ठ नागरिक रियायत के रूप में दी गई राशि (₹ करोड़ में)

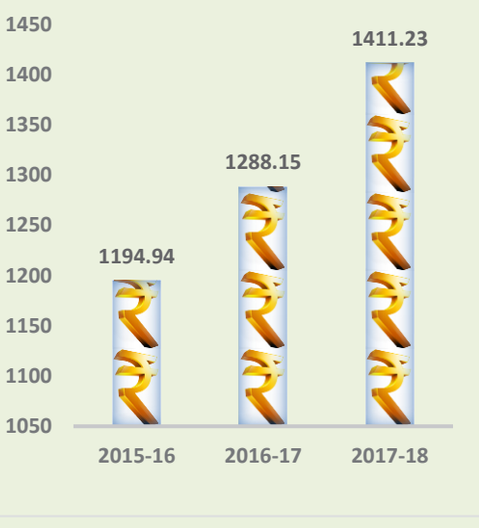

डोटा स्त्रोत: सीआरआईएस डेटा वेयरहाऊस

2015-16 से 2017-18 की अवधि की समीक्षा के दौरान, कुल 16.48 करोड़ वरिष्ठ यात्रियों को ₹ 3894.32 करोड़ रियायत के रूप में दिए गए। वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की संख्या 2015-16 में 5.09 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में 5.92 करोड़ हो गई, साथ ही रियायत की राशि ₹ 1194.94 करोड़ से बढ़कर ₹ 1411.23 करोड़ हो गई, जैसा नीचे दिया गया है:

2015-18 की समयावधि के दौरान प्रतिवेदन संख्या 52[29], पीआरएस डाटा वेयरहाउस प्रतिवेदन संख्या 71 (ख) और समेकित कोचिंग प्रबंधन प्रणाली से प्राप्त रेलगाड़ी मास्टर डाटा से प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों को दी गई रियायत जो कुल रियायत का अधिकतम भाग है का विश्लेषण करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि:

I. रियायत का लाभ उठाने वाली महिला वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को संख्या संबंधित पिछले वर्षों की तुलना में 7.23 *प्रतिशत* (2016-17) तथा 8.40 *प्रतिशत* (2017-18) तक बढ़ी ।

II. पुरूष वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की संख्या मे संबंधित पिछले वर्षों की तुलना में 7.35 *प्रतिशत* (2016-17) तथा 8.54 *प्रतिशत* (2017-18) की वृद्धि दर्ज की।

III. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में महिला तथा पुरूष वरिष्ठ नागरिकों को रियायत के रूप में दिए गए राजस्व मे क्रमश: 9.3 *प्रतिशत* तथा 9.8 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की।

चित्र 2.6(क)- 2015-18 के दौरान वरिष्ठ नागरिक रियायत यात्रियों की श्रेणी-वार *प्रतिशतता*

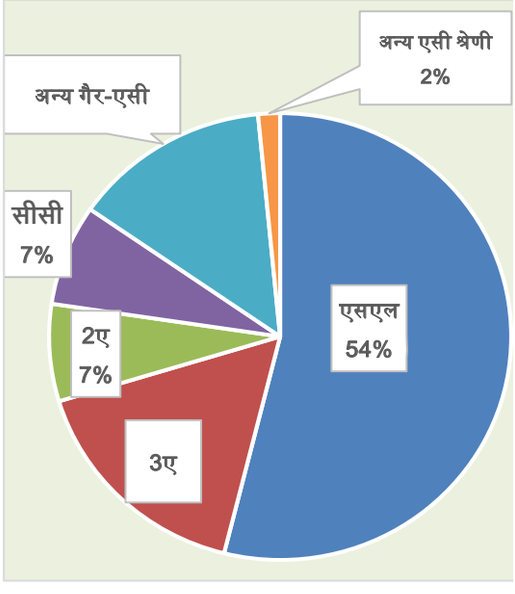

चित्र 2.6 (ख) वरिष्ठ नागरिक रियायत राशि की श्रेणी-वार परिवहन-वार *प्रतिशतता*

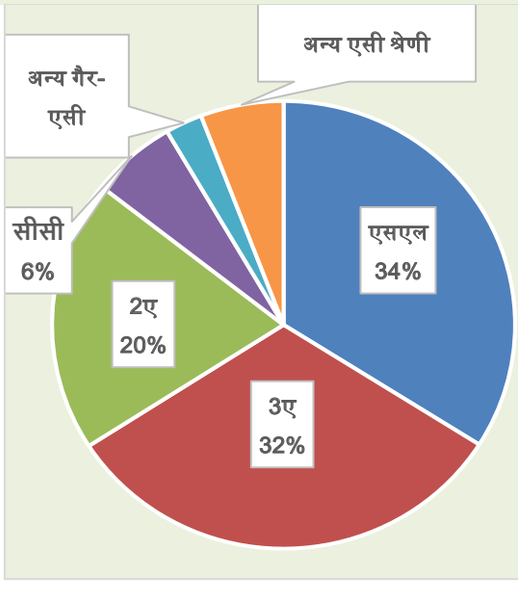

IV. 2015-16 से 2017-18 के दौरान अधिकतम वरिष्ठ नागरिकों ने मेल/एक्सप्रेस ट्रैन (45.01 *प्रतिशत*) तथा सुपर-फास्ट ट्रेनों (42.95 *प्रतिशत*) में यात्रा की। स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वाले 54 *प्रतिशत* वरिष्ठ नागरिको को सम्पूर्ण रूप में स्वीकृत कुल रियायत राशि का 34 *प्रतिशत* रियायती लाभ दिया गया था जबकि 2 एसी में 7 *प्रतिशत* यात्रियों ने कुल रियायत राशि के 20 *प्रतिशत* का लाभ उठाया। इसी प्रकार 3 एसी में 16 *प्रतिशत* वरिष्ठ नागरिक यात्रियों ने कुल वरिष्ठ नागरिक रियायत राशि के 32 *प्रतिशत* का लाभ उठाया जैसा कि चित्र 2.6 (क) तथा चित्र 2.6 (ख) में दर्शाया गया है।

अनुलग्नक 2 एवं अनुलग्नक 4

[29] *ट्रैन-वार श्रेणी-वार यात्रियों से आय और रियायत*

इस प्रकार, एसी श्रेणियों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिक यात्रियों ने गैर-एसी श्रेणियों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की तुलना में अधिकतम रियायती लाभ लिया।

2.6.5.2 विशेषाधिकार पास/पीटीओ पर रियायत का विश्लेषण

पास नियमावली के अनुसार कर्मचारियों तथा उनके पात्र परिवार के सदस्यों को 100 *प्रतिशत* रियायत वाले सुविधा पासों (हकदारी के अनुसार वर्ष में एक बार/तीन बार/छ:बार) से योग्य श्रेणी मे यात्रा करने का प्रावधान है। इसकेअतिरिक्त, विशेषाधिकार टिकट आदेश (एक वर्ष में आठ यात्रा हेतु) को 66.67 *प्रतिशत* रियायत के लाभ का प्रावधान है। 2015-18 के दौरान, 3.34 करोड़ सुविधा पास/पीटीओ धारकों ने पीआरएस के माध्यम से आरक्षण लिया जिसकी लागत[30] ₹ 2759.25 करोड़ थी (***अनुलग्नक 2***), 2017-18 में यात्रियों की संख्या 2015-16 की तुलना में 5.29 लाख बढ़ी जिसकी लागत ₹ 108.22 करोड़ है जैसा कि चित्र 2.7 (क) तथा चि 2.7 (ख) में दर्शाया गया है।

चित्र 2.7 (क): विशेषाधिकार पास रियायत प्राप्त करने वाले यात्रियों की संख्या (लाख में)

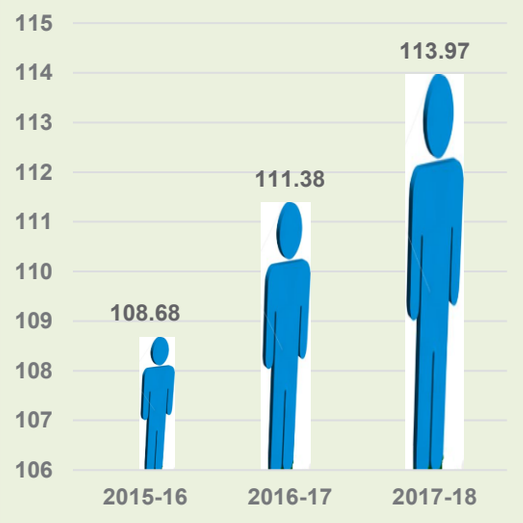

चित्र 2.7 (ख): विशेषाधिकार पास रियायत के रूप में दी गई राशि (₹ करोड़ में)

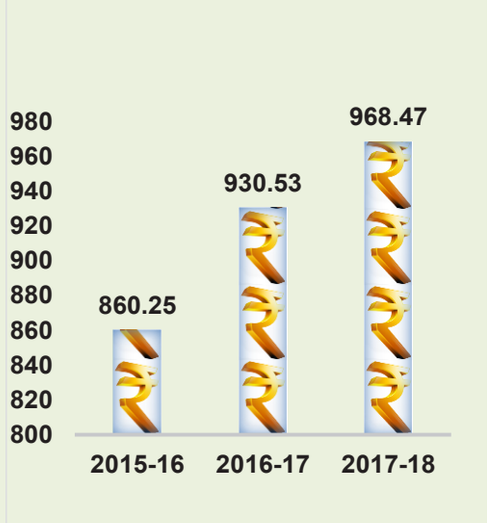

डेटा स्त्रोत: डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट 71 (ख)

यात्रियों की संख्या के वर्ग वार विश्लेषण से पता चला कि 2015-18 के दौरान सुविधा पास / पीटीओ धारकों ने स्लीपर क्लास और 2 एसी मे क्रमश: 1.16 करोड़ टिकट और 1.06 करोड़ टिकट लिए जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। इन यात्राओं से ₹ 2759.25 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा

[30] *सुपर फास्ट ट्रैनो हेतु आरक्षण प्रभारो और अनुपूरक प्रभार सहित।*

चित्र 2.8 - समीक्षा अवधि के दौरान विशेषाधिकार पास / पीटीओ रियायत का लाभ उठाने वाले यात्रियों की श्रेणीवार संख्या

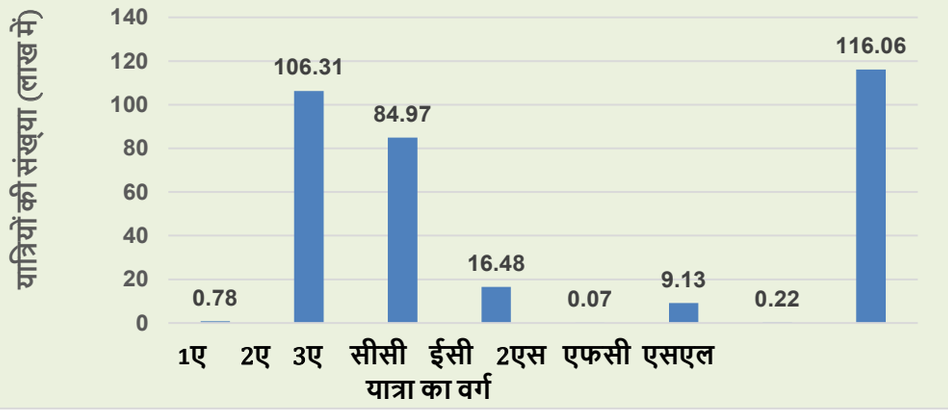

इस प्रकार, सुविधा पास/पीटीओ पर यात्रा करने पर दी गयी रियायत कुल आरक्षित आय का 37.2 *प्रतिशत* थी। *सुविधा पास / पीटीओ पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों में से 62 प्रतिशत*[31] *ने एसी वर्ग में सुविधाओं का लाभ उठाया। रियायत की राशि के संदर्भ में, इन 62 प्रतिशत यात्रियों ने कुल रियायत राशि का 87 प्रतिशत लाभ उठाया। रेलवे कर्मचारियों को प्रदान किये जाना वाला सुविधा पास / पीटीओ सुविधाएं रेलवे की स्थापना लागत का एक हिस्सा है। हालाँकि, यह रेलवे के स्थापना व्यय में परिलक्षित नहीं होता है और उतना ही रेलवे के राजस्व व्यय को कम दर्शाया गया है जो इन वर्षों में रेलवे के राजस्व अधिशेष को प्रभावित करेगा।*

2.6.5.3 अपंग व्यक्ति (दिव्यांग)

शारीरिक रूप से विकलांग/निम्नअंग व्यक्ति, पूरी तरह से अंधे व्यक्ति, मानसिक रूप से विक्षिप्त और पूरी तरह से बहरे और गूंगे व्यक्तियों को सभी ट्रेनों के सभी वर्गों मे अपनी यात्रा के लिए एस्कॉर्ट के साथ या बिना एस्कॉर्ट (गरीब रथ और सुविधा ट्रेनों को छोड़कर) को 25 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत* तक रियायतें दी जाती हैं। रियायत की मात्रा उनके सहायको के लिए भी समान रूप से स्वीकार्य है।

2015-18 के दौरान, कुल 76.83 लाख विकलांग (दिव्यांग) यात्रियों[32] ने ₹ 268.68 करोड़ **(अनुलग्नक 2)** की रियायत का लाभ उठाया दिव्यांग रियायत की वर्ष-वार प्रवृति नीचे दर्शाई गई है:

[31] ***कुल 3.34 करोड़ यात्रियों में से एसी क्षेणियों में 2.08 करोड़ यात्री***
[32] ***डेटा स्रोत :क्रिस डेटा वेयरहाउस या शारीरिक रूप से विकलांग रियायत की रिपोर्ट 71 (ख)***

चित्र 2.9 (क): रियायत प्राप्त करने वाले दिव्यांग यात्रियों की संख्या (लाख में)

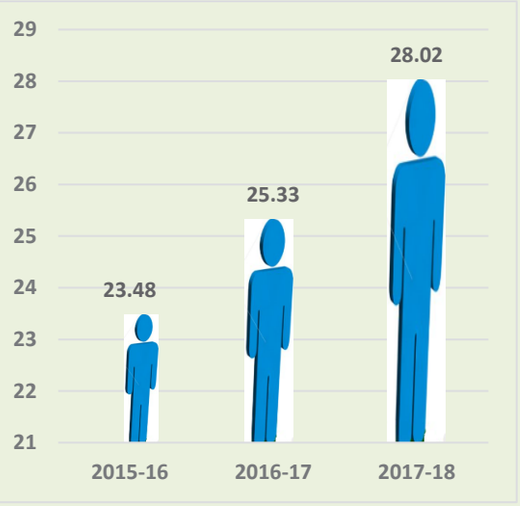

चित्र 2.9 (ख): दिव्यांग रियायत के लिए दी गई राशि (₹ करोड़ में)

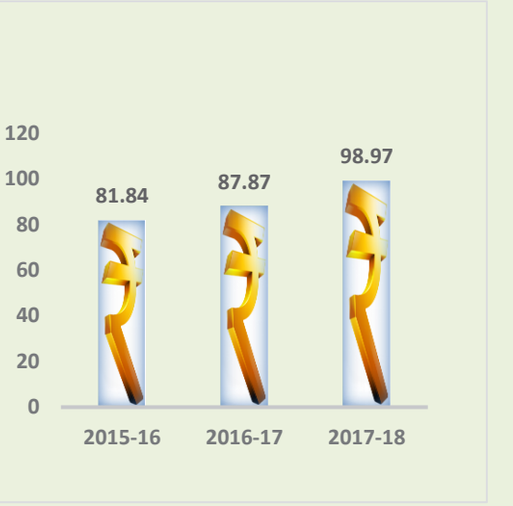

डेटा स्त्रोत: डेटा वेयरहाउॅस की रिपोर्ट 71 (ख)

वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2017-18 में दिव्यांग यात्रियों की संख्या में 19.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई इसके अनुरूप रियायत राशि मे 20.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.6.5.4 विशिष्ट बिमारी से ग्रस्त रोगी

मेल/एक्सप्रेस/सुपर-फास्ट ट्रेनों के सभी श्रेणियों में कैंसर, टीबी, थैलेसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, गुर्दे की बीमारियों और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित रोगियों को 50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* की छूट दी जाती है। सहायक के लिए भी रियायत का समान भाग स्वीकार्य है। स्लीपर क्लास और एसी 3 टियर क्लास में यात्रा करने पर कैंसर रोगियों को 100 *प्रतिशत* रियायत दी जाती है। रोगी को रियायत का लाभ उठाने के लिए संबंधित अस्पताल से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-18 **(अनुलग्नक 2)** के दौरान इस तरह के 53.12 लाख रोगियों के लिए रियायत के रूप में ₹ 279.45 करोड़ व्यय किये गए। 2017-18 में रियायत का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या में 2015-16 की तुलना में 1.96 लाख की वृद्धि हुई थी और तद्नुरूप रियायत की राशि में ₹ 14.20 करोड़ की वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 2.10 (क): रोगी रियायत प्राप्त करने वाले यात्रियों की संख्या (लाख में)

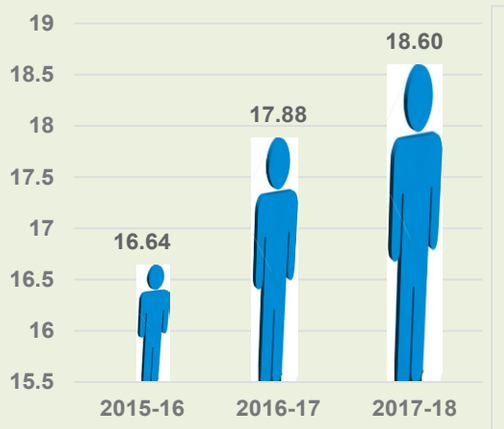

चित्र 2.10 (ख): रोगी रियायत के रूप में दी गई राशि (₹ करोड़ में)

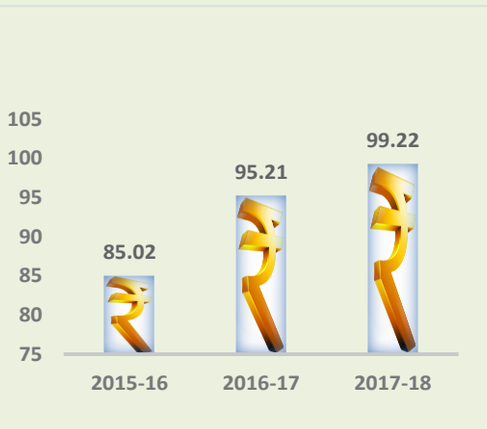

डेटा स्त्रोत: क्रिस डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट 71 (ख)

2.6.5.5 अन्य रियायतें[33]

द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में छात्रों के समूहों में शैक्षिक दौरे के लिए और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने निवास स्थान से शिक्षण संस्थान की यात्रा करने के लिए किराए में 50 *प्रतिशत* से 75 *प्रतिशत* की छूट दी जाती है। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त, अन्य श्रेणियों के यात्रियों जैसे कि खेल से जुड़े व्यक्ति, विभिन्न निर्दिष्ट पुरस्कार विजेता, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, प्रेस संवाददाता आदि, को 10 *प्रतिशत* से लेकर 75 *प्रतिशत* तक की छूट दी जाती है। रेल बोर्ड भी समय-समय पर विशिष्ट संगठनों को विशेष रियायतें प्रदान करता है। 2015-18 के दौरान, भारतीय रेल ने उपरोक्त श्रेणियों के 63.35 लाख यात्रियों के लिए ₹ 216.75 करोड़ रियायत प्रदान की थी। **अनुलग्नक -2**

[33] ***इसमें छात्र, खेल प्रतिभा, पुरस्कार विजेता, डॉक्टर, शिक्षक, प्रेस संवाददाता, इंडरेल पास, विशेष रियायतें आदि शामिल हैं।***

चित्र 2.11 (क) अन्य श्रेणियों में रियायत प्राप्त कर रहे यात्रियों की संख्या (लाख में)

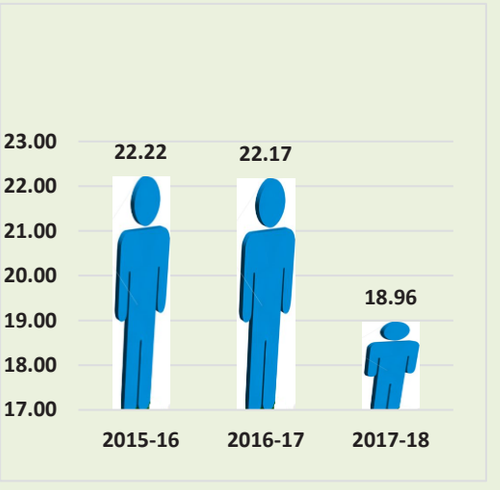

चित्र 2.11 (ख) अन्य रियायत के रूप में दी गई राशि (₹ करोड़ में)

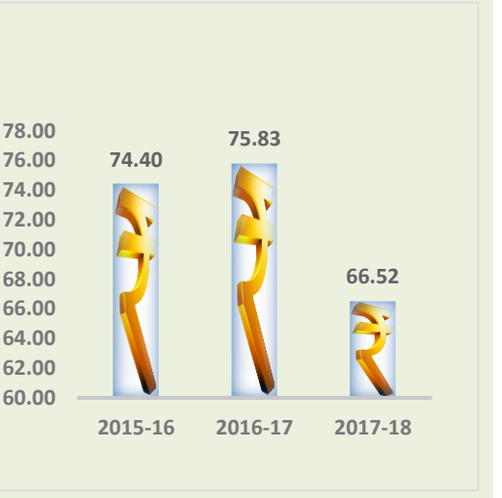

डेटा स्त्रोत: क्रिस डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट 71 (ख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 की तुलना में 2017-18 में यात्रियों की संख्या में 3.26 लाख की कमी आई है और इसी तरह रियायत की राशि में भी ₹ 7.88 करोड़ की कमी आई है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या रेलवे ने पिछले वर्षों में रियायतों की राशि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए है और रियायतों के दुरूपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त आतंरिक नियंत्रण किये हैं?

2.6.6 रियायतों की राशि नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदम

आरएफएफसी ने रेलवे द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत यात्रियों को दी जाने वाली रियायत की राशि के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी। इनमें रियायत की राशि को 50 *प्रतिशत* तक सीमित करना, विभिन्न लाभ अर्जित करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को दी गई रियायतें वापस लेना, तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शुल्क लेना, बर्थ सुविधा लेने वाले बच्चों के संबंध में 75 *प्रतिशत* किराया वसूलना और सांसदों/पूर्व सांसदों को दी गई रियायत के वहन को संबंधी संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त करना शामिल है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर रेलवे द्वारा किए गए निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए :

क) पूर्व नियम[34] के अनुसार पांच वर्ष के और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में वयस्क किराये से आधा किराया लिया जाता था। तथापि, यह नियम 10.04.2016 को संशोधित किया गया है और बर्थ के लिए विकल्प प्राप्त करने की प्रणाली शुरू की गई । यदि बर्थ का विकल्प चुना जाता है, तो पूर्ण वयस्क किराया लिया जाता है और यदि बर्थ का चयन नहीं किया जाता है, तो वयस्क किराए का केवल आधा शुल्क लिया जाता है।

ख) सांसदों/पूर्व सांसदों को दी जाने वाली रियायत के खर्च की प्रतिपूर्ति संसदीय मामलों के विभाग द्वारा की जा रही है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रियायत की राशि को 50 *प्रतिशत* तक सीमित नहीं किया गया है और 3 एसी, एसी चेयर कार, फर्स्ट क्लास, एसएल में कई श्रेणियों मे ऑर्थोपेडिकली विकलांग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के मरीजों आदि और द्वितीय श्रेणी और एसएल वर्ग में कैंसर रोगियों और टीबी रोगियों को 75 *प्रतिशत* तक की रियायत जारी है।

रेलवे ने जुलाई 2017 से वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को नियंत्रित करने के लिए 'गिव-अप-योजना' आरंभ की । इसके अतिरिक्त, नई शुरू की गई सुविधा ट्रेनों में, प्रारंभ में रेलवे ने रियायतों की कोई अनुमति नहीं दी । तथापि, धीरे-धीरे, कुछ विशेष श्रेणियों के तहत रियायतों की अनुमति दी गई। अग्रलिखित पैराग्राफों में इन पर चर्चा की गई है।

2.6.6.1 वरिष्ठ नागरिक की 'गिव-अप योजना'

जुलाई 2017[35] में, भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'गिव-अप योजना' आरंभ की । इस योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिक आरक्षित टिकटों की रियायत राशि का 50 *प्रतिशत* या 100 *प्रतिशत* भाग छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। क्रिस और आईआरसीटीसी को तदनुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए । पीआरएस काउंटरों के माध्यम से टिकटों के लिए, रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश[36] जारी किया कि आरक्षण फॉर्म को संशोधित करके एक कॉलम शामिल किया जाए जहां वरिष्ठ नागरिक रियायत भाग के 50 *प्रतिशत* या 100 *प्रतिशत* छोड़ने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

15 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान यात्रियों के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों की रियायत[37] पर भारतीय रेल के दायित्व की कमी में योजना के प्रभाव का विश्लेषण ने अग्रलिखित दर्शाया :

---

[34] ***आईआरसीए कोचिंग टैरिफ भाग खंड (i) का नियम 211***

[35] ***दिनांक 11.07.2017 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 51 के अनुसार 15 जुलाई 2017 से प्रभावी***

[36] ***दिनांक 09.08.2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 59***

[37] ***इस विश्लेषण के लिए, डाटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट सं. 71ख से 50 प्रतिशत रियायत (रियायत कोड़ पीसीआरसीटीएन और पीएसआरसीटीडब्ल्यू छोड़ने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की जोनवार, माह-वार संख्या ली गई थी। चूंकि यात्रियों जिन्होंने 100 प्रतिशत रियायत छोड़ दी थी, उनकी रिपोर्ट संख्या 71ख में उपलब्ध नहीं थी, माह-वार सं. 100 प्रतिशत छोड़ने के अंतर्गत बुक किए गए यात्री की माहवार संख्या रियायत कोड़ 'एनओसीओएनसी के लिए क्रिस से प्राप्त की गई थी।***

- कुल 4.41 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में से 7.53 लाख (1.7 *प्रतिशत*) यात्रियों ने 50 *प्रतिशत* रियायत छोड़ने का विकल्प चुना और 10.9 लाख (2.47 *प्रतिशत*) यात्रियों ने 100 *प्रतिशत* रियायत छोड़ दी।
- 50 *प्रतिशत* छोड़ने वाले यात्रियों की रियायत की राशि ₹ 7.21 करोड़ थी। हालांकि, 100 *प्रतिशत* छोड़ने के संबंध में छोड़ी गई राशि लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई
- महीने-वार विश्लेषण से पता चला है कि रियायत छोड़ने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में अगस्त 2017 से कमी आई है।
- 50 *प्रतिशत* रियायत छोड़ने वाले यात्रियों में से 752586 यात्री (99.94 *प्रतिशत*) इंटरनेट बुकिंग श्रेणी के थे और केवल 482 यात्रियों (0.06 *प्रतिशत*) ने यात्री आरक्षण काउंटर पर टिकट बुक करते समय रियायत छोड़ी थी।

अनुलग्नक 5

चित्र 2.12: वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़ने वाले यात्रियों की संख्या

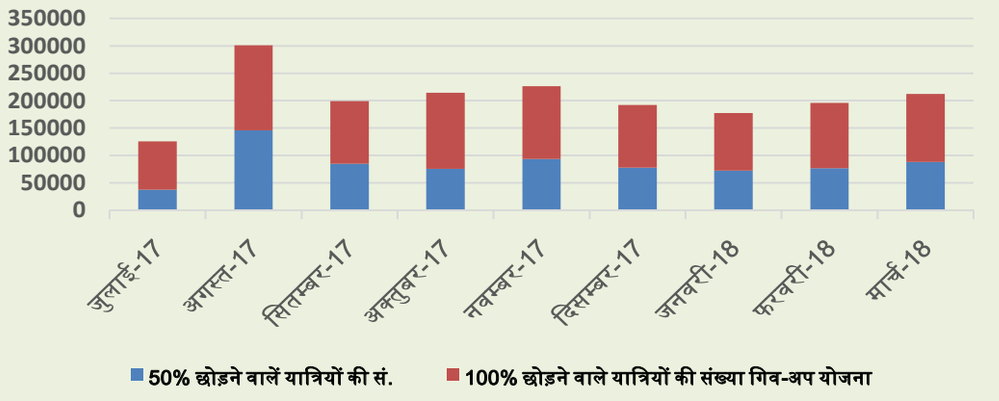

16 क्षेत्रीय रेलवे में 69 पीआरएस स्थानों पर और 11 वाईटीएसके[38] (यात्री टिकट सेवा केंद्र) गिव-अप स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति की नमूना जाँच से पता चला कि:

- वरिष्ठ नागरिक यात्रियों द्वारा 50 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* के प्रावधान के साथ संशोधित आरक्षण फार्म केवल तीन जोनल रेलवे[39] में आरंभ किए गए थे।
- छह जोनल रेलवे[40] में, सभी पीआरएस/वाईटीएसके स्थानों पर इनका पालन नहीं किया गया। 26 पीआरएस और 4 वाईटीएसके नमूना जांच में से, 15 पीआरएस और एक वाईटीएसके में संशोधित फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा था।
- वरिष्ठ नागरिक यात्रियों द्वारा 50 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* के प्रावधान वाले संशोधित आरक्षण फॉर्म शेष सात क्षेत्रीय रेलवे[41] में आरंभ नहीं किए गए ।

[38] ***यात्री टिकट सेवा केन्द्र भारतीय रेल की आउटसोर्सिंग योजना है। इससे उद्यमियों को रेलवे स्टेशनों के पास टिकट बिक्री काउंटर स्थापित करने और आरक्षित एवं अनारक्षित रेल टिकट बेचने की अनुमति मिलती है।***

[39] ***पू.म.रे, द.पू.म.रे और द.रे***

[40] ***म.रे, पू.त.रे, पू.रे, द.प.रे, प.म.रे और प.रे***

[41] ***उ.म.रे, उ.पू.रे, उ.सी.रे, उ.रे, उ.प.रे, द.म.रे, और द.पू.रे***

- दो पीआरएस कार्यालयों (पू.रे के भागलपुर और उ.पू.सी.रे के गुवाहाटी) को छोड़कर, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य पीआरएस/वाईटीएसके में गिव-अप योजना की प्रमुख सूचनाएँ प्रदर्शित नहीं की गईं।

इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिक यात्रियों से 'गिव-अप योजना' पर प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी। इस योजना का विकल्प चुनने वाले अधिकांश यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए थे। जहां पीआरएस/वाईटीएसके काउंटर से टिकट बुक किए गए थे वहां योजना में शामिल होने वाले यात्रियों की संख्या नगण्य थी, यात्री आरक्षण फार्म को संशोधित करने के लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

एक्ज़िट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2019) के दौरान, रेल मंत्रालय ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय रेलवे में प्रपत्रों में संशोधन न करना, उनके स्टॉक में पहले से उपलब्ध पुराने आरक्षण प्रपत्रों के उपयोग के कारण था। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी क्षेत्रीय रेलवे में अद्यतन प्रपत्र सुनिश्चित किए जाएंगे।

2.6.6.2 शुरू की गई नई प्रीमियम ट्रेनों में रियायत के अनुदान पर प्रतिबंध

2015-18 के दौरान, भारतीय रेलवे ने पाँच नई प्रकार की ट्रेनें शुरु की जैसे हमसफ़र, अंत्योदय इत्यादि। इन ट्रेनों में अनुमत/अननुमत रियायतों का विवरण अग्रलिखित तालिका में किया गया है।

तालिका 2.2: नई शुरू की गई ट्रेनों में रियायत की स्वीकार्यता

क्रम सं.	ट्रेन का प्रकार	वर्ग	आरंभ करने की तिथि	अनुमत	अननुमत
1	सुविधा	एसी और मिश्रित	जून 2015	सुविधा /पीटीओ/शुल्क पास (राजधानी/ शताब्दी के अनुसार) जुलाई 2017 से आरंभ	अन्य सभी प्रकार की रियायतें
2	महामना एक्सप्रेस	मिश्रित	जनवरी 2016	सभी सुविधा पास/पीटीओ/ मानार्थ पास, वारंट, रेल यात्रा कूपन, रियायतें	शून्य
3	हमसफर	पूर्ण 3ए	दिसंबर 2016	सुविधा पास/पीटीओ/ राजधानी के अनुसार शुल्क पास	अन्य सभी रियायतें
4	अंत्योदय	पूर्णत:II सीट अनारक्षित	फरवरी 2017	शून्य	रियायती टिकट, मुफ्त मानार्थ पास, विशेषाधिकार/ पीटीओ
5	तेजस	पूरी तरह से एसी कुर्सी कार/	मई 2017	सुविधा /पीटीओ /शुल्क पास (शताब्दी के अनुसार)	शून्य

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शुरू में सुविधा ट्रेनों में रियायत अनुमत नहीं थी, जुलाई 2017 से इसकी अनुमति दी गई। महामना एक्सप्रेस, हमसफ़र और तेजस ट्रेनों में, रेलवे द्वारा इन ट्रेनों की शुरुआत की तिथि से कुछ विशेष रियायतों की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा इन नई शुरू की गई ट्रेनों की नमूना जांच की गई और पाया कि 52 सुविधा ट्रेनों[42], दो युग्म महामना एक्सप्रेस ट्रेनों [43] में, 32 नंबर[44] हमसफ़र ट्रेनों और एक युग्म तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में, मार्च 2018 तक रेलवे ने ₹ 4.06 करोड़[45] की रियायत दी। **अनुलग्नक 6**

नई श्रेणी की ट्रेनों को चलाये जाने से भारतीय रेल को ऐसी ट्रेनों में रियायतों को कम करने का अवसर प्राप्त होता है। हालाँकि, भारतीय रेलवे ने शुरू की गई नई प्रकार की ट्रेनों में भी रियायतों की कुछ श्रेणियों की अनुमति दी है।

2.6.7 रियायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण

2.6.7.1 स्वतंत्रता सेनानी को रियायतों की प्रवृत्ति

मेट्रो रेलवे, कोलकाता को छोड़कर, भारतीय रेल में किसी भी रेलगाड़ी द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को आजीवन आधार पर प्रथम श्रेणी और एसी II टियर श्रेणी में एक सहयोगी के साथ मानार्थ कार्ड पास जारी किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पीआरएस डेटा वेयरहाउस रिपोर्ट संख्या 52 से भारतीय रेलवे में स्वतंत्रता सेनानी रियायतों पर बुक किए गए टिकटों की संख्या का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-2018 के दौरान ₹ 1041.86 करोड़ की रियायत का लाभ उठाते हुए 87,584 यात्रियों ने स्वतंत्रता सेनानी (रियायत कोड "FREEDM") के रूप में आरक्षण किया था, और 62,528 यात्रियों ने उनके सहयोगियों के रूप में यात्रा करते हुए ₹ 763.58 करोड़ की रियायत का लाभ (रियायत कोड "FRECOM") उठाया। जैसा कि नीचे **चित्र 2.13 (ए) और 2.13 (बी)** से देखा जा सकता है:

---

[42] पू.त.रे-17, पू.त.रे-4, द.रे-21 और द.पू.रे-10 ट्रेनें
[43] प.म.रे-2 ट्रेनें और म.रे-2 ट्रेनें
[44] पू.त.रे-2, उ.पू.रे-4, उ.सी.रे-2, उ.प.रे-8, द.म.रे-2, द.पू.म.रे-2, द.पू.रे-2, द.प.रे-6 और प.रे-4 ट्रेनें
[45] *सुविधा ट्रेनें- ₹ 11.19 लाख, महानामा एक्सप्रेस- ₹ 45.55 लाख, हमसफर ट्रेनें- ₹ 1.82 करोड़ और तेजस एक्सप्रैस- ₹ 1.67 करोड़*

चित्र 2.13(क): स्वतंत्रता सेनानियों और उनके सहयोगियों के लिए बुकिंग की प्रवृत्ति

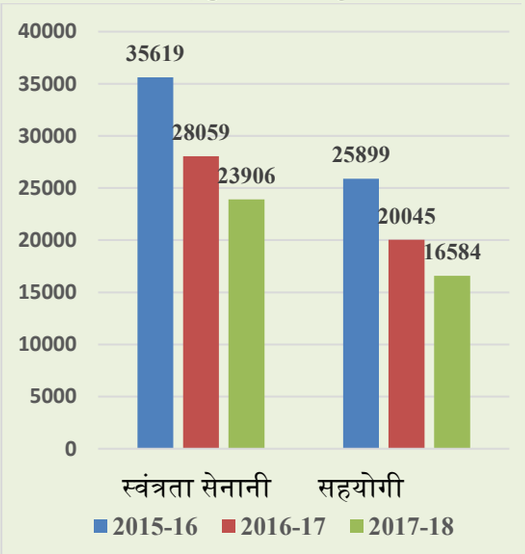

चित्र 2.13 (ख): ₹ लाख में रियायत के रूप में दी गई राजस्व की राशि

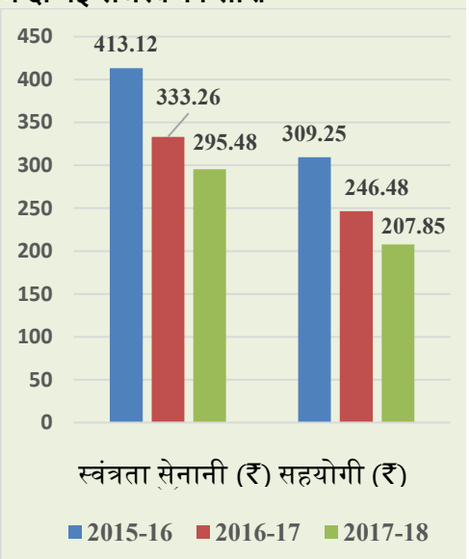

डेटा स्त्रोत: क्रिस डेटा वेयरहाऊस की रिपोर्ट 52

15 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान, स्वतंत्रता सेनानी रियायतों का लाभ उठाने वाले 15298 यात्रियों (2529 रद्द किए गए यात्रियों को छोड़कर) के आयु विवरण का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया:

चित्र 2.14: स्वतंत्रता सेनानी रियायत का लाभ उठाने वाले यात्रियों का आयु विवरण

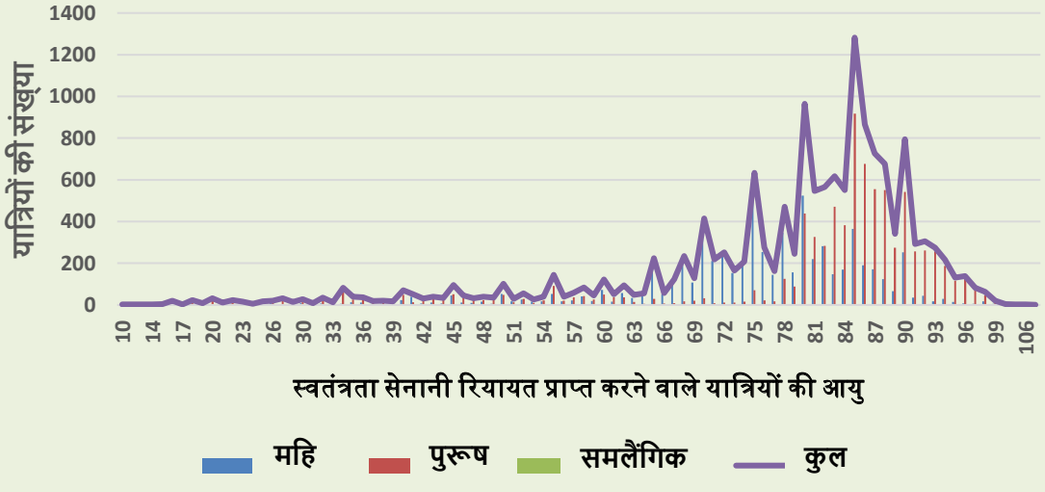

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि

- कुल स्वतंत्रता सेनानी रियायती यात्रियों में से 21 *प्रतिशत* 70 वर्ष से कम आयु के थे, जो इंगित करता है कि स्वतंत्रता सेनानी रियायत उन लोगों के लिए बढ़ा दी गई थी जो 1947 के बाद पैदा हुए थे।

- 1947 के बाद पैदा हुए 1302 पुरुष यात्रियों और 1898 महिला[46] यात्रियों को स्वतंत्रता सेनानियों की रियायत के अंतर्गत मुफ्त यात्रा की अनुमति दी गई । इनमें से 1096 पुरुष और 580 महिला यात्रियों की आयु वरिष्ठ नागरिक श्रेणी से भी कम थी।

- सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिसे रियायत कोड "FREEDM" के तहत स्वतंत्रता सेनानी टिकट जारी किया गया था, उसकी आयु 10 वर्ष थी।

- 15 मामलों में, स्वतंत्रता सेनानी रियायत टिकट स्वतंत्रता सेनानी पास (संख्या '0') के साथ जारी किए गए थे।

इस प्रकार, यात्री आरक्षण प्रणाली में स्वतंत्रता सेनानियों की उम्र को मान्य करने और स्वतंत्रता सेनानी पास संख्याओं से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी रियायत के साथ टिकट बुक करने की अनुमति देने के लिए उपयुक्त इनपुट नियंत्रण नहीं है।

2.6.7.2 खोए हुए धातु / ड्यूटी कार्ड पास का दुरुपयोग

जून 2005 में, रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश[47] जारी किया कि धातु / कार्ड पास के खोये जाने के मामले में, खोए हुए धातु/कार्ड पास के लिए आरक्षण को रोकने के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। चूंकि विभिन्न जोनल रेलवे उचित रूप से इनका पालन नहीं कर रहे थे, रेलवे बोर्ड ने मई 2012[48] में पुन: निर्देश जारी किये।

धातु/कार्ड पास के विवरण से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 354 धातु पास और 397 ड्यूटी कार्ड पास खोये जाने की रिपोर्ट की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि खोए हुए पासों की सूची को सभी संबंधितों व्यक्तियों को प्रेषित करते समय, जोनल रेल प्रशासन ने पीआरएस में खोए हुए पास नंबरों को बंद करना सुनिश्चित नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 जोनल रेल के 15 मेटल पास[49] और चार जोनल रेलवे के छह ड्यूटी कार्ड पास[50] के गुम होने की रिपोर्ट के बाद भी 768 यात्रियों ने अपने टिकट बुक किए,

---

[46] ***उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं होंगी और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए अलग से कोई रियायत संहिता न होने की वजह से लेखापरीक्षा करने के लिए दी गई सूचना से उनकी सं-ख्या का पता नहीं लगाया जा सका।***

[47] ***2005 दिनांक 24.06.2005 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.25***

[48] ***2012 दिनांक 07.05.2012 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 30***

[49] ***म.रे-1, पू.त.रे-1, पू.त.रे-1, उ.म.रे-1, उ.पू.रे-3, उ.सी.रे-1, उ.रे-1, द.पू.म.रे-1, द.रे-1, द.प.रे-2 और प.रे-2***

[50] ***पू.रे-1, उ.रे-1, उ.प.रे-3 और द.पू.म.रे-1***

जिसकी कुल राशि ₹ 4.75 लाख थी। 303 मामलों में, जिन यात्रियों के टिकट बुक किए गए थे, उनके नाम वही थे, जिनके पास खोये जाने की सूचना मिली थी। 457 मामलों में, जिन अधिकारियों ने पास खो दिया था, उनके अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम पर टिकट बुक किए गए थे। दो खोए हुए पास[51] पर बुक किए गए शेष आठ यात्रियों में से, पास खो चुके अधिकारी के नाम लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। खोए हुए पासों पर बुकिंग के कुछ उदाहरणों **(अनुलग्नक 7)** के बारे में नीचे चर्चा की गई है:

- पूर्व रेलवे में, श्री पी.के.डे को जारी किया गया एक फर्स्ट क्लास ड्यूटी कार्ड पास संख्या 58328 दिनांक 31 दिसंबर 2016 को पू.रे त्रैमासिक गजट द्वारा खोए हुए के रूप में परिचालित किया गया था। जनवरी 2016 से मार्च 2018 के दौरान इस ड्यूटी पास का उपयोग राणाघाट से सियालदह तक एक साथी के साथ श्री पी.के.डे के पक्ष में 145 टिकटों पर 284 यात्रियों की बुकिंग के लिए किया गया था।

- उत्तर रेलवे में, 15 फरवरी 2015 को एक कांस्य धातु पास सं. 962 के गुम होने की रिपोर्ट की गई थी। 15 फरवरी 2015 से 31 मार्च 2018 के बीच, पास का इस्तेमाल उस व्यक्ति के बजाय अन्य 363 यात्रियों की टिकटों की बुकिंग के लिए किया गया ।

- पूर्वतटीय रेलवे में, अप्रैल 2015[52] के वाणिज्यिक परिपत्र द्वारा कांस्य धातु पास संख्या 141 के खो जाने को परिचालित किया गया था। तथापि, मई और जून 2015 के महीने में उस अधिकारी के नाम खोए हुए पास पर तीन टिकट बुक किए गए थे।

- मध्य रेलवे में, 28 मई 2015 को मेटल पास संख्या 1209 खो गया था, जो 03 दिसंबर 2015 को फिर से मिला। इस अवधि के दौरान, इस मेटल पास पर पांच टिकट बुक किए गए थे।

इस प्रकार, क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा रेल बोर्ड के निर्देशों का पालन ना करने से खोये हुए धातु / कार्ड पास का विवरण यात्री आरक्षण प्रणाली में न रखने और उन पर टिकटों की बुकिंग करने से कर्मचारियों को दिए जाने वाले ड्यूटी पास का दुरुपयोग हुआ।

2.6.7.3 ट्रेनों की विशिष्ट श्रेणी मे अनियमित रियायत का लागू होना

रेलवे बोर्ड के निर्देशों[53] के अनुसार, सुविधा गाड़ियों पर कोई रियायत लागू नहीं है। इसी तरह, गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों[54] में वरिष्ठ नागरिक रियायत की अनुमति नहीं है। इसके बाद, जुलाई 2017[55] में, रेलवे बोर्ड ने सुविधा ट्रेनों में सुविधा /पीटीओ/ड्यूटी और सेवानिवृत्ति मानार्थ पास की अनुमति दी।

---

[51] ***म.रे-बीआर पास सं. 1209 और द.पू.म.रे-बीआर पास सं. 263***
[52] ***सं. 28 (ग) 2014 दिनांक 16.04.2015***
[53] ***2015 दिनांक 02 जून 2015 रेल बोर्ड का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33***
[54] ***2016 का रेल बोर्ड का वाणिज्यिक परिपत्र सं 77***
[55] ***आरबीई सं. 68/2017 दिनांक. 12.07.2017***

2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए सुविधा एक्सप्रेस ट्रेनों में बुकिंग की लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि छह क्षेत्रीय रेलवे[56] में 27 यात्रियों के लिए 12 सुविधा ट्रेनों[57] में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दी । इसी तरह, 2017-18 के दौरान उत्तर रेलवे में 11 यात्रियों को गरीब रथ एक्सप्रेस में वरिष्ठ नागरिक रियायत दी। **अनुलग्नक 8**

उपरोक्त यह इंगित करता है कि विशिष्ट श्रेणी की ट्रेनों के लिए लागू नहीं होने वाली रियायतों के लिए पीआरएस में पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा गया है।

2.6.7.4 चिकित्सा प्रमाणपत्र पर जारी की गई रियायती टिकटों में अनियमितताएं

रोगियो को वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही रियायत की अनुमति दी जानी चाहिए और पंजीकरण संख्या के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन प्रमाण पत्र पर रोगी का नाम, हस्ताक्षर, चिकित्सा, प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आदि होनी चाहिए।

तालिका 2.3 – रियायत के लिए अनुमत चिकित्सा प्रमाणपत्र का विवरण

विकलांगता की प्रकृति	*यात्री की उम्र*	*जारी करने की तिथि से चिकित्सा प्रमाण पत्र की वैधता*
अस्थायी	किसी भी उम्र	5 वर्ष
स्थायी	25 वर्ष तक	5 वर्ष
	26 से 35 वर्ष	10 वर्ष
	35 वर्ष से ऊपर	आजीवन

विकलांग यात्रियों के मामले में, चिकित्सा रियायत प्रमाण पत्र की वैधता शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की उम्र पर आधारित है।

इन व्यक्तियों को ऑनलाइन टिकट बुक करने में सक्षम बनाने के लिए रेलवे ने संबंधित विभागीय वाणिज्यिक कार्यालयों द्वारा फोटो पहचान पत्र जारी करने की प्रणाली[58] शुरू की। आईडी कार्ड शुरू में पांच साल के लिए वैध है और समय-समय पर नवीकरण के अधीन है। हालांकि, फोटो आईडी कार्ड प्राप्त करने की प्रणाली को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

चयनित 69 पीआरएस स्थानों पर जुलाई 2018 के महीने में शारीरिक रूप से विकलांगों और विभिन्न रोगियों के लिए रियायतों की एक विस्तृत जांच लेखापरीक्षा में की गई थी। रियायतें देने में विसंगतियों/अनियमितताओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- 65 रियायत प्रमाणपत्रों[59] पर रियायत दी गई थी जहां डॉक्टर का हस्ताक्षर/पंजीकरण संख्या/सील या अस्पताल का नाम/मुहर या तो नहीं थी या अवैध थी।
- 23 मामलों[60] में, चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा विकलांगता की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था।

---

[56] ***ट्रेन सं. पू.त.रे (82831 और 82853), पू.म.रे (82355 और 82356), पू.रे (82301 और 82302), द.पू.रे (02863), द.रे (82601, 82613, 82635 और 82802), द.प.रे (82651)***

[57] ***पू.त.रे-04 (₹ 1435), पू.म.रे-10 (₹ 3800), पू.रे-5 (₹ 3830), द.पू.रे-01 (₹ 250), द.रे-6 (₹ 1695), द.प.रे-01 (₹ 630)***

[58] ***2015 की रेल बोर्ड का वाणिज्यिक परिपत्र सं.18***

[59] ***पू.त.रे-5, म.रे-7, उ.म.रे-6, उ.प.रे-12, द.रे-2, द.प.रे-2 और प.म.रे-31***

[60] ***द.रे-5, पू.रे-4, उ.पू.रे-1 और प.म.रे-13***

- 48 अमान्य/समाप्त प्रमाण पत्रों[61] पर रियायत टिकट जारी किया गया था।
- दो टिकटों[62] की बुकिंग की तारीख रियायत प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से पहले थी।
- 30 रियायत प्रमाणपत्रों[63] में, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को रिक्त छोड़ दिया गया था।
- नौ मामलों[64] में, प्रमाणपत्रों में संशोधन पाया गया।
- 16 चिकित्सा रियायत मामलों[65] में, एक ही डॉक्टर के लिए अलग-अलग हस्ताक्षर देखे गए थे।
- विशिष्ट विकलांगों को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकरण के स्पष्ट उल्लेख के अभाव में, स्त्री रोग विशेषज्ञों और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा मानसिक रोगी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसी तरह, वयस्क के लिए शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र बाल रोग विशेषज्ञ (ईसीओआर) और कैंसर प्रमाण पत्र, नेत्र विशेषज्ञ (डब्ल्यूसीआर) द्वारा जारी किए गए ।

इस प्रकार, अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण, रियायत देने के लिए वर्तमान प्रावधानों में स्पष्टता न होना और उचित निगरानी तंत्र मे कमी के कारण चिकित्सा प्रमाण पत्रों पर स्वीकृत रियायतों का दुरूपयोग हुआ ।

2.6.7.5 सुविधा पासों का दुरूपयोग

रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुविधा पास उनके चयन के अनुसार निर्दिष्ट मार्ग में कई ब्रेक यात्रा की सुविधाएं सहित जारी किया जाता है। यह आरक्षण लिपिक का कर्तव्य[66] है कि वह पास के ऊपर ट्रेन का नम्बर तथा तिथि जिसके लिए आरक्षण किया गया है और पास धारक द्वारा टिकट को रद्द अथवा संशोधन को भी पृष्ठांकित करें। रेलवे कर्मी पास नियमावली की अनुसची II के अनुलग्नक ए के अनुसार, पासधारक यात्रा आरंभ करने से पहले स्याही से जावक यात्रा के आरंभ की तिथि और वापसी यात्रा के आरंभ करने की तिथि की प्रविष्टि जरूर करें। टिकट क्लेक्टर और ट्रेन टिकट परीक्षक प्रावधानों की अनुपालना जरूर देखे और पासधारक द्वारा गैर-अनुपालन की स्थिति मे निर्धारित जुर्माना वसूल करें।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए भारतीय रेल के डाटा वेयरहाऊस की रेलवे पास पूछताछ रिपोर्ट (रिपोर्ट सं.: 66ई) क्षेत्रीय रेलवे-वार विशलेषण यह खुलासा करता है कि 1.14 करोड़ यात्रियों ने सुविधा पास रियायत के अन्तर्गत आरक्षण करवाया था। लेखापरीक्षा ने सोलह क्षेत्रीय रेलवे के 23.43 लाख (20.6 प्रतिशत) यात्रियों के लिए सुविधा पास के अन्तर्गत की गई

---

[61] पू.त.रे-2, पू.रे-7, उरे-6, उ.प.रे-7, द.पू.रे-3, द.रे-6 और प.म.रे-17
[62] द.म.रे-1 और द.पू.रे-1
[63] म.रे-1, द.पू.रे-4 द.प.रे-1 और प.म.रे-24
[64] म.रे-8, उ.पू.रे-1
[65] *म.रे-4, उ.पे.रे-1, उ.रे-1 प.म.रे-10*
[66] *भारतीय रेलवे वाणिज्यिक मैनुअल संस्करण-I का नियम 638*

बुकिंग के विवरणों की नमुना जांच की थी। यह देखा गया कि पासों के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट प्रावधानों/निर्देशों के बावजूद, एक ही सुविधा पास पर कई आरक्षण, अवैध पास पर आरक्षण जैसी अनियमितताएं पायी गयी। जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

(क) सुविधा पासों पर पीआरएस के माध्यम से कई आरक्षण

लेखापरीक्षा ने डाटा वेयरहाऊस में उपलब्ध डाटा से सुविधा पास/पीटीओ पर की गई यात्राओं के यात्रियों के विवरण की नमुना जांच की । लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- 3016 पासों का एक ही स्टेशन/एक ही मार्ग के लिए कई बार टिकटों की आरक्षण के लिए दुरूपयोग किया था। 30,567 यात्रियों को इन पासों पर आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें से 11,552 यात्रियों की बुकिंग अनियमित थी, क्योंकि उन्होने यात्रा के इसी खंड के लिए पहले से ही अपने पासों पर टिकट बुक कर लिए थे।
- 11,552 यात्रियों की अनियमित बुकिंग में से, 487 यात्रियों ने उसी दिन उसी गंतव्य के लिए एक से अधिक ट्रेनों में आरक्षण किया था।
- 136 यात्रियों ने एक ही स्टेशन के लिए विभिन्न श्रेणियों में उसी दिन उसी ट्रेन में आरक्षण करवाया था।

लेखापरीक्षा ने सुविधा पासों/पीटीओ पर किये गये टिकटों की आरक्षण में गंभीर अनियमितताओं के निम्नलिखित उदाहरणों को देखा।

- पूमरे में, मार्च 2018 में तीन व्यक्तियों[67] के नाम पर 120 यात्रियों की बुकिंग के लिए एक प्रथम श्रेणी पास संख्या 685113 का उपयोग किया गया, जिसमें से 108 बुकिंग अनियमित थी। 2एसी/3एसी श्रेणियों में पांच विभिन्न ट्रेनों में 10 मार्च 2018 को यात्रा के लिए इटारसी से झांसी के लिए आरक्षण करवाया गया, 11 मार्च 2018 को एक ट्रेन में और 16 मार्च 2018 को सात विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण करवाया गया । इसी प्रकार, झॉसी से इटारसी का आरक्षण पांच विभिन्न ट्रेनों में करवाया गया । हावडा से पुरी/खुर्दा रोड और 13 ट्रेनों में वापस जाने के लिए भी इसी पास का उपयोग किया गया था जिसमें एक ही तारीख में एक ही ट्रेन के 2एसी/3एसी श्रेणियों में टिकटों की बुकिंग की गई थी। उसी पास पर कानपुर से पटना और पटना से हावड़ा की कई अनियमित बुकिंग भी की गई थी।
- प्रथम श्रेणी सुविधा पास संख्या 678580, पर पूमरे में अनियमित बुकिंग के अन्य उदाहरण, जिन पर 130 यात्रियों को दानापुर/पटना से इटारसी और वापसी के लिए बुक किया गया था। इसी प्रकार, पास संख्या 670729 पर, आठ विभिन्न ट्रेनों में मुज्जफरपुर से दिल्ली और वापसी के लिए टिकट बुक किये गये थे। अन्य उदाहरण में, पास संख्या 672396 पर नौ विभिन्न तिथियों पर दानापुर से सिकंदराबाद और वापसी के लिए टिकट बुक किये गये थे।
- उत्तर रेलवे में, पास संख्या 654967 पर दो यात्रियों की शताब्दी ट्रेन मे 2017-18 के दौरान नई दिल्ली से अम्बाला केंट 15 बार और वापसी के लिए 13 बार बुकिंग के लिए उपयोग किया गया था।

[67] ***अभिषेक के सिंह और दो अन्य***

- दक्षिण मध्य रेलवे में, प्रथम श्रेणी सुविधा पास संख्या 124937 को चार विभिन्न तिथियों पर साईनगर सिरडी से सिकन्दराबाद के लिए तीन यात्रियों की बुकिंग के लिए प्रयोग किया गया था। **अनुलग्नक 9**

एक ही पास पर कई आरक्षण तब संभव है जब पास पर आरक्षण करते समय बुकिंग क्लर्क या तो पास पर बुकिंग विवरणों को पृष्ठांकित नहीं करते, जो यात्रा के दौरान टीटीई द्वारा भी ध्यान न दिया गया या बाद में उपयोग किये गये पास पर बुकिंग की गई थी।

(ख) अवैध पास संख्याओं के माध्यम से पीआरएस में किये गये आरक्षण

क्षेत्रीय रेलवे के तहत संबंधित नामित रेलवे प्रिंटिंग प्रैस से विभिन्न पास जारी करने वाले कार्यालयो को पास की आपूर्ति की जाती है। लेखापरीक्षा ने रेलवे प्रिंटिंग प्रैस द्वारा पास जारी करने वाले प्राधिकारी को आपूर्ति किए गए पासों की क्रम संख्या की तुलना भारतीय रेल के डाटा वेयरहाऊस के क्षेत्रीय -वार रेलवे पास प्रतिवेदन (रिपोर्ट सं. 66ई) से की। लेखापरीक्षा ने देखा कि 1012 अवैध पास संख्याओं पर 3315 यात्रियों के लिए टिकट बुक किये गये थे जो अधिकतम 6 संख्याओं के बजाय सात से नौ संख्याओं तक थे। 3315 यात्रियों में से 21[68] के मामले में, आरक्षण को सुविधा पास संख्या '0' के रूप मे दिखाये जाने पर स्वीकृत किया गया था।

अनुलग्नक 10

एक ही पास और एक ही मार्ग पर कई बुकिंग के उदाहरण, नियमों और प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना और सुविधा पास पीटीओ के व्यापक दुरूपयोग का संकेत है । यह यात्री आरक्षण प्रणाली में इनपुट डाटा सत्यापन की कमी के कारण था जो कर्मचारियों को विस्तारित मुफ्त पास सुविधा रोक सकता था। पीआरएस को एक ही स्टेशन के लिए एक ही पास संख्या पर दूसरा टिकट की बुकिंग को तभी स्वीकार करना चाहिए जब पहला बुक किया गया टिकट रद्द हो गया हो । पीआरएस में ऐसा कोई नियंत्रण मौजूद नहीं है।

इस प्रकार, सुविधा पास के दुरूपयोग को रोकने हेतु पास संख्याओं के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली में कोई इनपुट सत्यापन नियंत्रण नहीं है।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस के दौरान (अप्रैल 2019) रेल मंत्रालय ने कहा कि ज़ोनल रेलवे को अनियमितताओं यदि कोई हो तो की एक-एक करके जांच करने के तथा विस्तृत स्थिति प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए है।

रेलवे बोर्ड को पास/पीटीओ के जिसके कारण इस प्रकार के हेर फेर की सहुलियत होती है । दुरुपयोग के सभी मामलों का विश्लेषण करना चाहिए। प्रणाली में खामियों, उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। उन अधिकारियों जिन्होंने इस तरह की अनियमितता की है उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।

---

[68] ***उपरे-16 और परे-5***

2.7 निष्कर्ष

पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्रा करने वाले आरक्षित यात्रियों में से 11.45 प्रतिशत ने विभिन्न प्रकार की रियायतों का लाभ उठाया । भारतीय रेलवे ने विभिन्न रियायतों के प्रति आरक्षित यात्री आय का करीब 8.42 प्रतिशत छोड़ दिया, वरिष्ठ नागरिकों और सुविधा पास/पीटीओ धारक से संबंधित रियायत राशि क्रमश: 37.2 प्रतिशत और 52.5 प्रतिशत है।

रियायत लेने वाले यात्रियों की संख्या की वृद्धि दर लगभग सभी श्रेणियों, विशेष रूप से एसी श्रेणी में बढती प्रवृत्ति पर थी। अधिकांश रियायती यात्रियों ने गैर-एसी श्रेणी में यात्री की, तथापि, एसी यात्रियों द्वारा उठाई गई यात्राओं की रियायत की राशि का हिस्सा गैर-एसी श्रेणी यात्रियों से बहुत अधिक था। भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई रियायत का सबसे अधिक हिस्सा वरिष्ठ नागरिक रियायत का है जिसका लाभ मुख्यत: ऐसी श्रेणी के यात्रियो को ही मिला है। लेखापरीक्षा मे देखा गया कि द्वितीय और तृतीय एसी में यात्रा करने वाले 23 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक यात्रियों ने वरिष्ठ नागरिक रियायत की कुल राशि का 52 प्रतिशत लाभ उठाया। वरिष्ठ नागरिक के लिए स्वैच्छिक रियायत गिव-अप योजना से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली । ऐसा कुछ क्षेत्रीय रेलवे में पीआरएस काउंटरों द्वारा यात्रियों की जागरूकता हेतु पर्याप्त प्रचार की कमी और संशोधित आरक्षण फॉर्मो के प्रस्तुत न करने के कारण था।

भारतीय रेलवे ने अपने कोष पर पड़ने वाली रियायत के बोझ को कम करने वाले उचित कदम नहीं उठाए। नई श्रेणी की ट्रेनो की शुरूआत भारतीय रेलवे को रियायतो को कम करने का अवसर प्रदान करती है। भारतीय रेलवे, तथापि, नई प्रकार की ट्रेनों में भी कुछ निश्चित श्रेणियों के रियायत को अनुमत करता है। कुछ ट्रेनों में इसे प्रारंभ में अनुमत नहीं किया गया था, लेकिन बाद में रियायतों को अनुमत किया गया। यात्री आरक्षण प्रणाली के पास अयोग्य व्यक्तियों द्वारा रियायत लाभ के दुरूपयोग को रोकने के लिए अपेक्षित इनपुट सत्यापन नियंत्रण नहीं है। प्रणाली के पास स्वतंत्रता सैनानियों की आयु का सत्यापन करने के लिए उचित इनपुट कंट्रोल नहीं है। प्रणाली स्वतंत्रता सेनानी पास संख्या के साथ विधिवत जुड़ी स्वतंत्रता सैनानी रियायत के साथ बुकिंग टिकटों के सत्यापन करने में भी सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण की कमी, चिकित्सा आधार पर स्वीकृत रियायत का अनुमत करने के लिए मौजूदा प्रावधानों मे भी स्पष्टता नहीं है। यह कमी विभिन्न यात्रियों द्वारा रियायत के दुरूपयोग के लिए प्रणाली को असुरक्षित छोड़ देती है।

क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन पीआरएस में खोए हुए धातु/कार्ड पास के ब्यौरे दर्ज करने हेतु रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इसके कारण धातू और कार्ड पास का दुरूपयोग हुआ। इनपुट सत्यापन नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप एक ही सुविधा पास पर एक ही मार्ग में कई बुकिंग के उदाहरण है।

2.8 सिफारिशें

1. ***भारतीय रेलवे को रेलवे यात्री आय पर रियायत के बोझ को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय करने की आवश्यकता है।***

2. *रेलवे को यात्रियों की आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार रियायत को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रेलवे रियायत को प्रतिबंधित करने पर विचार कर सकती है।*

3. *भारतीय रेलवे को चिकित्सा आधार पर रियायती लाभ की अनुमति के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्रों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आतंरिक नियंत्रण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।*

4. *भारतीय रेलवे उचित इनपुट सत्यापन नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता है ताकि प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी और सुविधा पास पर टिकटों की बुकिंग की अनुमति दी जा सके और इनके दुरूपयोग को रोका जा सके।*

5. *भारतीय रेलवे को केवल योग्य लाभार्थियों को रियायत लाभ प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए पीआरएस में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण प्रदान करने की आवश्यकता है।*

6. *इस तथ्य के मद्देनजर कि भारतीय रेलवे को अपने व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपने स्वयं के संसाधनों से पूरी तरह से राजस्व व्यय को पूरा करना है, भारतीय रेल अपने कर्मचारियों को प्रदान की गई सुविधा पास/ पीटीओ सुविधाओं को तर्कसंगत बना सकती है।*

7. *भारतीय रेलवे अपने राजस्व व्यय को सही ढंग से निश्चित करने के लिए अपने खातों में सुविधा पास/ पीटीओ सुविधाओं की लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है।*

(रॉय मथरानी)

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 8 अगस्त 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 9 अगस्त 2019